[illegible]

अशासकीय विद्यालय निरीक्षण समिति

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या - [illegible] 6333 दिनांक: 30/10/21

[illegible]

अशासकीय विद्यालय निरीक्षण समिति, उ0प्र0 [illegible] इण्टरमीडिएट [illegible] के अनुमोदन [illegible] अशासकीय विद्यालय समिति, उ0प्र0 प्रयागराज में [illegible] दिनांक [illegible] की [illegible] बैठक में [illegible] वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु [illegible] के [illegible] की [illegible] बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत विवरण प्रेषित करना।

उक्त के अनुक्रम में [illegible] की बैठक के लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत [illegible] अशासकीय विद्यालय समिति, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित [illegible] के [illegible] प्रेषित प्रपत्र हेतु अनुमोदन प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	जिला कोड	जिला का नाम	[illegible] हेतु [illegible] द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रस्तावित शुल्क	[illegible] अनुमोदित प्रपत्र संख्या
01	07007	[illegible]	[illegible]	03

अनुमोदन हेतु शर्तें

- जिला [illegible] द्वारा [illegible] की गई [illegible] का पूर्णतः पालन करेंगे।
- [illegible] अधिनियम 1982 तथा अशासकीय विद्यालय निरीक्षण नियमावली 1983, [illegible] नियमावली 2016 तथा अन्य [illegible] नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेंगे तथा कुल [illegible] शुल्क [illegible] अशासकीय [illegible] हेतु [illegible] के अनुसार [illegible] के अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु [illegible] पाठ्यक्रम एवं उक्त [illegible] के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त [illegible] शुल्क [illegible] अशासकीय विद्यालय/संस्थाओं के शुल्क के सम्बन्ध में [illegible] द्वारा लिये जाने वाले [illegible] शुल्क [illegible] समिति द्वारा [illegible] हेतु [illegible] अनुमोदित किया जाता है तो वैसा ही [illegible] द्वारा लिया जायेगा।
- [illegible] अशासकीय विद्यालय समिति [illegible] अशासकीय, [illegible] के [illegible] नियमावली-2016 की [illegible] का अनुपालन करेंगे।
- [illegible] के [illegible] पाठ्यक्रम [illegible] अर्थ [illegible] के लिये [illegible] की [illegible] के [illegible] की कार्यवाही की जायेगी।
- [illegible] के अनुसार [illegible] एवं [illegible] करेंगे।
- [illegible] अशासकीय [illegible] के अन्तर्गत [illegible] हेतु [illegible] किया जाना प्रस्तावित है।

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पत्रांक [illegible]/[illegible]/2021/ 2334-74 दिनांक 30-10-21

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्रा0शि0/परिषद मान्यता/2020/1871 लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

: कार्यालय ज्ञाप:

प्रदेश वित्तविहीन मान्यताप्राप्त शिक्षा परिषद, एवं विद्यालयों/संस्थाओं मान्यताप्राप्त अशिक्षक कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय सहायता की अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की मान्यता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 के अपराह्न प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की प्रबन्धन समिति के परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अर्वेदित वर्ष मान्यता या मान्यता/सं0 से संबंधित मान्यताओं को मान्यता नवीनतम/मान्यता/परिषद मान्यता वृद्धि अथवा कम नहीं पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में मान्यता समिति के बैठक के पश्चात् से जिन्होंने इस कार्यालय मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण उक्त मान्यता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया:

"जिन्हीं क्षेत्र में अपर्याप्त विद्यालय इस कार्यालय पत्रांक+ संलग्नित करते हुये संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु मॉनीटराइज्ड कर उनके यथायोग्य अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। उन संस्थाओं में मॉनीटराइज्ड कर प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार बनाये गये के सम्मुख अंकित शिक्षक/शिक्षक संख्या के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से मान्यता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से मॉनीटराइज्ड कर प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से मान्यता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 04-12-2020 को आयुक्त मान्यता समिति की बैठक में लिये गये सर्वसम्मत निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मान्यता एवं संस्था अंकित प्रदेश संख्या हेतु मान्यता विस्तार प्रदान की जाती है:

क्र0 सं0	डायस नम्बर	संस्था का नाम	शिक्षक का नाम	पदोन्नतिवार हाल वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रदेश संख्या	विस्तारवार/परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रदेश संख्या
1	[illegible]	इलाहाबाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	02	02

मान्यता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी [illegible] [illegible]
- ✓ [illegible] प्राथमिक शिक्षा परिषद [illegible] 1982 [illegible] प्राथमिक शिक्षा संस्थान नियमावली 1222 [illegible] नियमावली 2016 [illegible] नियमों एवं अर्वेदों का अनुपालन करेंगे [illegible] शुल्क नियमानुसार समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई [illegible] के रू0 [illegible]/- [illegible] तथा [illegible] शिक्षक [illegible] के रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष [illegible] एवं [illegible] के अंश [illegible] परिषद [illegible] के [illegible] के रू0 [illegible] 30 प्रतिवर्ष [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] प्रावधान [illegible] विद्यालय समिति द्वारा [illegible] हेतु वीर [illegible] निर्माण किया जाना है में [illegible] की [illegible] की जाए, ऐसी

✓ [illegible] विद्यालय [illegible] समिति [illegible] समिति [illegible] विद्यालय [illegible] निर्माण-कार्य [illegible] की [illegible] का अनुपालन [illegible] करेगा।

✓ [illegible] के विकास [illegible] निर्माण-कार्य की [illegible] की कार्यवाही की जाएगी।

✓ [illegible] के रख-रखाव पर निर्माण [illegible] के अनुरूप निर्माण [illegible] रखरखाव सुचारु रूप से चलता रहेगा।

✓ [illegible] (सोलर/[illegible]) के [illegible] हेतु उपयोग [illegible] किया जाना अनिवार्य होगा।

✓ [illegible] किया, [illegible] शुल्क [illegible] पंजीकृत [illegible] किया जाना अनिवार्य होगा।

✓ [illegible] के [illegible] के [illegible] की [illegible] के लिए [illegible] की [illegible] के लिए [illegible] की [illegible] के [illegible] के [illegible] की [illegible] के [illegible] के [illegible] की [illegible] के [illegible] के